

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

दिनांक 15.09.2026 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही :

मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, डिहरी परिक्षेत्राधीन गंगा पम्प नहर प्रमंडल, चौसा के अधीन सोन नहर प्रणाली अंतर्गत चौसा शाखा नहर के कि०मी० 0.00 से 12.924 तक पुनर्स्थापन एवं लाईनिंग तथा चौसा शाखा नहर से निःसृत कोचस वितरणी एवं इन्दौर वितरणी का पुनर्स्थापन कार्य, एकरारनामा सं०-01SBD/2017-18 में समयवृद्धि के प्रस्ताव पर निर्णय हेतु आयोजित विभागीय निविदा समिति की बैठक में निम्न पदाधिकारियों ने भाग लिया :-

1. श्री चन्द्रशेखर सिंह, सचिव, जल संसाधन विभाग, पटना।
2. श्री निखिल कुमार, अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, पटना।
3. श्री अरविन्द कुमार वर्मा, आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, पटना।
4. श्री अजय कुमार सिंह, मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, डिहरी - ऑनलाईन

कार्य की विवरणी :-

कार्य का नाम	: सोन नहर प्रणाली अंतर्गत चौसा शाखा नहर के कि०मी० 0.00 से 12.924 तक पुनर्स्थापन एवं लाईनिंग तथा चौसा शाखा नहर से निःसृत कोचस वितरणी एवं इन्दौर वितरणी का पुनर्स्थापन कार्य।
प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	: ₹ 7953.38 लाख (विभागीय पत्रांक 512 दि० 30.03.2017)
एकरारित राशि	: ₹ 7368.99452 लाख
प्रथम विचलन के उपरान्त एकरारित राशि	: ₹ 8562.48240 लाख
एकरारनामा संख्या	: 01SBD/2017-18, दिनांक 04.11.2017
एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	: दिनांक 03.11.2019
प्रथम स्वीकृति अवधि विस्तार	: दिनांक 30.06.2022 (विभागीय पत्रांक 815 दि० 04.09.2020)
संवेदक का नाम	: Broadway Links Pvt. Ltd., Patna
प्रमंडल का नाम	: गंगा पम्प नहर प्रमंडल, चौसा
भौतिक प्रगति	: 100 प्रतिशत (कार्य पूर्ण)
कार्य पूर्ण करने की वास्तविक तिथि	: दिनांक 30.12.2025
प्रस्तावित समय वृद्धि	: 30.12.2025 (द्वितीय)
समयवृद्धि समीक्षा समिति की बैठक तिथि	: 27.08.2026

समीक्षा :-

मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, डिहरी परिक्षेत्राधीन गंगा पम्प नहर प्रमंडल, चौसा के अधीन सोन नहर प्रणाली अंतर्गत चौसा शाखा नहर के कि०मी० 0.00 से 12.924 तक पुनर्स्थापन एवं लाईनिंग तथा चौसा शाखा नहर से निःसृत कोचस वितरणी एवं इन्दौर वितरणी का पुनर्स्थापन कार्य, एकरारनामा सं०-01SBD/2017-18 के समयवृद्धि हेतु मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, डिहरी के पत्रांक 3261 दिनांक 01.09.2025 द्वारा अनुशंसा सहित प्राप्त प्रस्ताव की समीक्षा की गई है। कार्यपालक अभियंता, गंगा पम्प नहर

Q K 8

प्रमंडल, चौसा द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रपत्र, दिनांक 23.06.2026 में प्रतिवेदित है कि उक्त एकरारनामा अंतर्गत कार्यों को दिनांक 30.12.2025 तक पूर्ण कर लिया गया है।

इस एकरारनामा अंतर्गत विभागीय पत्रांक 815 दिनांक 04.09.2020 द्वारा दिनांक 30.06.2022 तक पूर्ण करने हेतु प्रथम समयवृद्धि की स्वीकृति प्रदान की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि मुख्यतः निम्न कारणों से प्रथम विस्तारित समय अवधि तक कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका :-

- (i) खरीफ एवं रब्बी सिंचाई वर्ष 2021, 2022, 2023, 2024 एवं 2025 में चौसा शाखा नहर से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु जलश्राव प्रवाहित रहने के कारण कुल 1252 दिन कार्य बाधित होना।
- (ii) कोरोना महामारी (कोविड-19) के फलस्वरूप लॉकडाउन के कारण दिनांक 19.03.2021 से 31.05.2021 तक कुल 74 दिन कार्य बाधित होना।
- (iii) मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, डिहरी द्वारा दिनांक 06.12.2021 को स्थल पंजी पर निम्नलिखित अतिरिक्त कार्यों का आदेश दिया जाना, जिसके लिए अतिरिक्त 123 दिन का कार्यकारी अवधि दिया गया :-
 - a) चौसा शाखा नहर के माध्यम से सिंचाई/पटवन कार्य हेतु नहर के विभिन्न बिन्दुओं पर क्षतिग्रस्त 64 अदद आउटलेट एवं 03 अदद इनलेट का पुनर्निर्माण कार्य।
 - b) चौसा शाखा नहर के 0.00 कि०मी०, 1.925 कि०मी० (मनीपुर फॉल), 3.263 कि०मी० (जखनी फॉल), 8.395 कि०मी० (कृष्णापुर फॉल), 11.911 कि०मी० (दुधार फॉल) एवं 12.75 कि०मी० (बाराडीह फॉल) के डाउनस्ट्रीम में रिटेनिंग वाल का निर्माण कार्य।
 - c) चौसा शाखा नहर के 6.746 कि०मी० पर क्षतिग्रस्त रामपुर SLR Bridge का मरम्मत कार्य।

SBD एकरारनामा के Clauses of Contract की कंडिका 12.1 के अनुसार एकरारित राशि में वृद्धि के क्रम में कार्य को पूर्ण करने के लिए अवधि विस्तार दिये जाने का प्रावधान है। साथ ही समय वृद्धि की स्वीकृति से संबंधित विभागीय आदेश संख्या-197 दिनांक 14.03.2016 के कंडिका-12 में SBD के कंडिका-5.2 के प्रावधानों की व्याख्या की गई है, जिसके कंडिका-1.2.4 में "नहर के पुनर्स्थापन कार्य की स्थिति में खरीफ, रब्बी, गरमा अथवा छठ पर्व हेतु जलापूर्ति के कारण प्रभावित कार्य दिवस" का उल्लेख किया गया है, जिसके आलोक में विवरणी निम्नवत् है:-

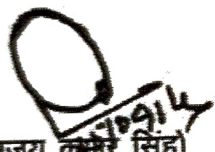
(1)	एकरारनामा के अनुसार कार्य करने की अवधि (दिनांक 04.11.2017 से दिनांक 03.11.2019)	730 दिन
(2)	एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारंभ करने की तिथि एवं एकरारित कार्य पूर्ण करने की वास्तविक तिथि के बीच की अवधि (दिनांक 04.11.2017 से दिनांक 30.12.2025)	2979 दिन
(3)	कुल बाधित अवधि	2127 दिन
(4)	कार्यकारी अवधि	852 दिन

उपरोक्त के आलोक में मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, डिहरी के पत्रांक 3261 दिनांक 01.09.2025 द्वारा उक्त एकरारनामा में दिनांक 30.12.2025 तक समयवृद्धि दिये जाने की अनुशंसा की गई है।

उक्त के क्रम में दिनांक 27.08.2026 को सम्पन्न विभागीय समयवृद्धि समीक्षा समिति द्वारा समीक्षोपरान्त मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, डिहरी परिक्षेत्राधीन गंगा पम्प नहर प्रमंडल, चौसा अंतर्गत सोन नहर प्रणाली अंतर्गत चौसा शाखा नहर के कि०मी० 0.00 से 12.924 तक पुनर्स्थापन एवं लाईनिंग तथा चौसा शाखा नहर से निःसृत कोचस वितरणी एवं इन्दौर वितरणी का पुनर्स्थापन कार्य, एकरारनामा सं०-01SBD/2017-18 में दिनांक 30.12.2025 तक की समयवृद्धि पर विभागीय निविदा समिति की स्वीकृति हेतु अनुशंसा की गई है। समय विस्तार के फलस्वरूप कोई अतिरिक्त वित्तीय दावा मान्य नहीं होगा।

विभागीय निविदा समिति का निर्णय :-

सम्यक समीक्षोपरान्त विभागीय समयवृद्धि समीक्षा समिति द्वारा किये गये अनुशंसा के क्रम में मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, डिहरी परिक्षेत्राधीन गंगा पम्प नहर प्रमंडल, चौसा अंतर्गत सोन नहर प्रणाली अंतर्गत चौसा शाखा नहर के कि०मी० 0.00 से 12.924 तक पुनर्स्थापन एवं लाईनिंग तथा चौसा शाखा नहर से निःसृत कोचस वितरणी एवं इन्दौर वितरणी का पुनर्स्थापन कार्य, एकरारनामा सं०-01SBD/2017-18 में दिनांक 30.12.2025 तक की समयवृद्धि पर विभागीय निविदा समिति की स्वीकृति प्रदान की जाती है। समय विस्तार के फलस्वरूप कोई अतिरिक्त वित्तीय दावा मान्य नहीं होगा।


(अजय कुमार सिंह)
मुख्य अभियंता,
सिंचाई सृजन, डिहरी


(अरविन्द कुमार वर्मा)
आंतरिक वित्तीय सलाहकार,
जल संसाधन विभाग, पटना

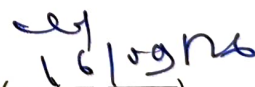

(निखिल कुमार)
अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन
जल संसाधन विभाग, पटना


(चन्द्रशेखर सिंह)
सचिव
जल संसाधन विभाग, पटना

पत्रांक : मो०-०३-कार्य-डी०-०३/२५-२२०५

पटना, दिनांक : 16/09/2026

प्रतिलिपि : मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, डिहरी को विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(अमरेन्द्र कुमार)

अधीक्षण अभियंता

यो० एवं मो० अंचल०-३, पटना।

पत्रांक : मो०-०३-कार्य-डी०-०३/२५-२२०५

पटना, दिनांक : 16/09/2026

प्रतिलिपि : कार्यपालक अभियंता, आई० टी०, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


(अमरेन्द्र कुमार)

अधीक्षण अभियंता

यो० एवं मो० अंचल०-३, पटना।